न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 326 /2022

उनवान

मांगी पत्नी देवी जाट निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1– गोपाल पिता उदा जाट निवासी खुड़ी खुर्द
2– प्रभु पिता हीरा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
3– छोगा पिता लक्ष्मण जाट निवासी खेड़ी खुर्द
4– बालू पिता उगमा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
5– भंवर पिता मांगू जाट निवासी खेड़ी खुर्द
6– देबीलाल पिता छोगा जाट निवासी खेड़ी खुर्द
7– मु. दूदी पत्नी उदा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
8– किशन पिता नारू गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
9– भैरू पिता भौजा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
10– हजारी पिता धूकल गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
11– प्रभु पिता हीरा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
12– देबी पिता रामनाथ गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
13– अमरचन्द पिता भैरू गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
14– गोपाल पिता भैरू गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
15– रामजस पिता भागुजा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द
16– भैरू पिता देबी जाट निवासी खेड़ी खुर्द
17– मु. लादी पत्नी अमरा जाट निवासी खेड़ी खुर्द
18– शंकर पुत्र अमरा जाट निवासी खेड़ी खुर्द
19– भंवर पुत्र अमरा जाट निवासी खेड़ी खुर्द
20– मु. सीता पुत्री अमरा जाट निवासी खेड़ी खुर्द
21– निरमा पुत्री अमरा जाट निवासी खेड़ी खुर्द

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री राजेश वर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 19.09.2022

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 447 रकबा 0.13 है0, 466 रकबा 1.02 है0, 470 रकबा 0.05 है0, 484 रकबा 0.55 है0, 486 रकबा 0.40 है0, 418 रकबा 1.44 है0, 445 रकबा 0. 13 है0, 446 रकबा 0.28 है0, 448 रकबा 0.21 है0, 449 रकबा 0.10 है0, 450 रकबा 1.01 है0, 451 रकबा 0.61 है0, 467 रकबा 0.52 है0, 506 रकबा 0.76 है0, 469 रकबा 0.10 है0, 500 रकबा 0.59 है0** कुल किता **15** रकबा **7.9** हैक्टेयर के प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 2, 5, 6, 8 लगायत 21** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 3, 4, 7** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **खेड़ी खुर्द** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त **सहखातेदारी** की आराजीयात् किता **15 रकबा 7.9 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2000/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

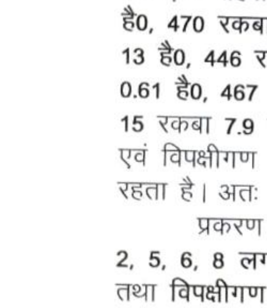

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.